फर्द–अहकाम

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश, सिकराय, जिला– दौसा (राज.)

सेशन प्रकरण संख्या– 11/2025, सी.आई.एस. नं.– 11/2025

सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस180002162025

राजस्थान राज्य बनाम मुकेश

दिनांकः 03.10.2025 :–

1– अपर लोक अभियोजक श्री अमरनाथ शर्मा उपस्थित। अभियुक्त के अधिवक्ता श्री ताराचंद गुर्जर उपस्थित। अभियुक्त मुकेश जे.सी. से अनुपस्थित, उसका केवल जे.सी. वारण्ट ही आया है। अभियुक्त मुकेश जरिए वी.सी. उपस्थित। प्रकरण में परिवादी अभिषेक कुमार जैमन की ओर से जरिए अपर लोक अभियोजक दिनांकः 29.09.2025 को पृथक पृथक रूप से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 348 एवं 94 भारतीय न्याय संहिता 2023 पर बहस गत पेशी पर सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का प्रार्थनापत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहना है कि प्रकरण में सब इंस्पेक्टर सुनील गहलोत बेल्ट नं. 28109074 पुलिस स्टेशन साउथ कैम्पस जिला साउथ वेस्ट दिल्ली महत्वपूर्ण गवाह है तथा उसके द्वारा दिनांकः 24.02.2024 को हस्ताक्षरित जनरल डायरी की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्रों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

3– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने उक्त प्रार्थनापत्रों को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

4– उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में अभी चार गवाहान के बयान हुए हैं तथा प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर लम्बित है। परिवादी ने प्रकरण में सब इंस्पेक्टर सुनील गहलोत बेल्ट नं. 28109074, पुलिस स्टेशन साउथ कैम्पस जिला साउथ वेस्ट दिल्ली को उसके द्वारा दिनांकः 24.02.2024 को हस्ताक्षरित जनरल डायरी की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया जाने के लिए गवाहान सूची में रखकर तलब किए जाने की प्रार्थना की है। चूंकि अभी प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर है तथा उक्त गवाह व दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना परिलक्षित होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी अभिषेक कुमार जैमन की ओर से जरिए अपर लोक अभियोजक दिनांक : 29.09.2025 को पृथक पृथक रूप से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 348 एवं 94 भारतीय न्याय संहिता 2023 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर गवाह सब इंस्पेक्टर सुनील गहलोत बेल्ट नं. 28109074, पुलिस स्टेशन साउथ कैम्पस जिला साउथ वेस्ट दिल्ली को गवाहान सूची में गवाह संख्या 20 के रूप में अंकित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

6– गवाह लावन्या को जरिए जमानती वारण्ट पांच हजार रुपये तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांकः 14.10.25 को पेश हो।

(अनामिका सारण)
अपर सेशन न्यायाधीश
सिकराय, जिला दौसा